सहायक ग्रेड की रिक्तियों को भरा जाना

498.श्री कामेश्वर पासवान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सीधी भरीयता के आधार और अस्थायी पदोन्नति के लिए निर्धारित विभिन्न कोटों के अंतर्गत चयन सूचियों के माध्यम से भरी गई सहायक ग्रेड की रिक्तियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या यह सच है कि तदर्थवाद को समाप्त करने के लिए सरकार ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 के नियम 13(7) को छोड़ दिया है जिसके अंतर्गत सहायक ग्रेड में अस्थायी आधार पर पदोन्नति दी जाती थी ; और

(ग) यदि हां, तो तदर्थवाद में किस हद तक कमी आई है और लम्बे समय से तदर्थ आधार पर कार्यरत सहायकों को नियमित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ।

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) पिछली तीन चयन सूचियों के द्वारा अभी तक भरी गई रिक्तियों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

चयन सूची का वर्ष	सीधी भर्ती	दरिद्रता कोटा
1988	186	314
1989	364	1460
1990	--	266

पिछले तीन वर्षों के दौरान अस्थायी पदोन्नतियों के द्वारा कोई रिक्तियां नहीं भरी गई थी ।

(ख) अक्तूबर, 1988 से पदोन्नति के लिए योजना को युक्तिसंगत बनाने हेतु अस्थायी रिक्तियों को भरने के लिए सरकार ने दीर्घकालीन पदोन्नति की पद्धति छोड़ दी है ।

(ग) अर्हता प्राप्त /नियुक्ति रूप से पदोन्नत उम्मीदवार जब तक उपलब्ध नहीं होते तब तक लघु अवधि की रिक्तियों तथा अन्य रिक्तियों को भरने के लिए तदर्थ पदोन्नतियां करने का काम जारी रखा जाता है । तदर्थ पदोन्नति की अवधि नियमित पदोन्नति के लिए हकदारी पर कोई प्रभाव नहीं डालती है ।

Government Officials Writing Books on Government Policies

□*99. DR. NARREDDY THULASI REDDY : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether there is a code of conduct for all Government servants in the matter of writing books for commercials sale;

(b; if so, the details of such a code of conduct;

(c) whether it is a fact that many senior officers are violating such a code by writing books dealing with Government policies; and

(d) if so, the names of all such officers above joint secretary rank who have written books without obtaining prior permission of Government ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA) : (a) and (b) In accordance with the Conduct Rules, Government ser-vents should obtain previohs sanction of the Government or ths prescribed authority to publish a book himself or through a publisher. However, such sanction will not be required if the publication s through a publisher and is of purely literary, artistic or scientific character.

(a) and (d) Notice of violation of Conduct Rules and action thereon is to be taken by the appropriate disciplinary authorities at various levels in the i Ministries/Departments of the Government and the required information is not, [1] therefore, centrally available.